

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क./ 26 / भू-अर्जन/202010050400006 अ 82/2024

कोरबा, दिनांक 01/01/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की बोकरदा जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1. जिला - कोरबा
2. तहसील - करतला
3. ग्राम/नगर - बेहरचुंवा
4. भूमि का क्षेत्रफल - 1.343 हे.

ख.नं.	रकबा (हे.में)
32, 34	0.089
254/1	0.036
253	0.065
252	0.073
251	0.036
248	0.036
249	0.053
260/1	0.053
258	0.061
259	0.004
260/2	0.040
260/3	0.040
260/4	0.040
260/5	0.036
263	0.089
261	0.004
265	0.040
271/1	0.036
271/3	0.036
271/2	0.036
267/3	0.004
270	0.097
323	0.069
321	0.040
318	0.049
322	0.004
320/1	0.032
320/2	0.032
319	0.105
317/1	0.008
योग	1.343

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा

(कुणाल दुदावत)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 01.01.2024

पृ. क्र. / 27 / भू-अर्जन / 202010050400006 अ 82 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित ।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे ।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग.की ओर सूचनार्थ । कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ । कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करें ।
6. तहसीलदार करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. सचिव, ग्राम पंचायत बेहरचुंवा जिला कोरबा को सूचनार्थ । उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें ।

(कुणाल दुदावत)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग